बिहार सरकार
मत्स्य निदेशालय
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए

"मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजनान्तर्गत"

आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

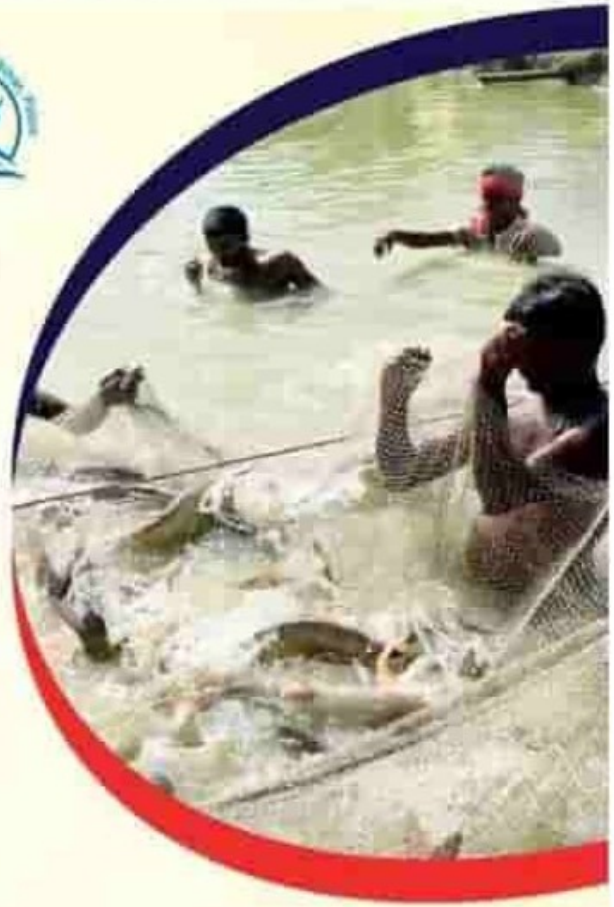

योजना का उद्देश्य: इस योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य के बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जलकृषि हेतु विकसित करना है जिससे अव्यवहृत पड़े चौर संसाधनों में मछली पालन के साथ–साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का अभिसरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि की जा सके।

योजनान्तर्गत चौर विकास हेतु **''लाभुक आधारित चौर विकास''** एवं **''उद्यमी आधारित चौर विकास''** का क्रियान्वयन किया जाना है।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजनान्तर्गत के तहत तीन मॉडल है:–

क्र.	चौर विकास के मॉडल	ईकाई लागत	अनुदान
1.	एक हेक्टेयर रकवा में दो तालाब निर्माण	₹8.80 लाख/हे०	अन्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 70 प्रतिशत तथा उद्यमी आधारित 30 प्रतिशत अनुदान देय है।
2.	एक हेक्टेयर रकवा में चार तालाब निर्माण	₹7.32 लाख/हे०	
3.	एक हेक्टेयर रकवा में एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास।	₹9.69 लाख/हे०	

वांछित कागजात: व्यक्तिगत/समूह लाभुकों के द्वारा स्व–अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, समूह में कार्य करने की सहमति पत्र, उद्यमी लाभुकों के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण–पत्र, विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन, पैन कार्ड, जी०एस०टी, भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र, लीज एकरारनामा इत्यादि।

आवेदन की प्रक्रिया: योजना हेतु आवेदन **fisheries.bihar.gov.in** पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।

आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 14.08.2023 तक।

इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या: 2672, दिनांक: 05.07.2023 से प्राप्त की जा सकती है, जो विभागीय वेबसाईट : https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर प्रदर्शित है।

PR. 5359 (Animal)D. 2023-24

मत्स्य निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रकाशित